यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई (सिंचाई खण्ड) देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई (सिंचाई खण्ड) देहरादून** के माह 08/2012 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री शरत श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सलीम खान वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 06-08-2018 से 18-09-2018 तक श्री सुनील कल्ला वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** इकाई द्वारा मुख्यतः ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाता है। इस इकाई के अंतर्गत देहरादून एवं हरिद्वार के क्षेत्र आते है।

3. इकाई द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि एवं कोषागार द्वारा प्रदत्त धनराशि से सड़क निर्माण का कार्य किया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य	बचत
	स्थापना ₹	गैर स्थापना ₹	आवंटन ₹	व्यय ₹	आवंटन ₹	व्यय ₹	(+) ₹	(-)₹
2015-16	----	9.50	294.20	273.59	1004.77	443.40	---	18.36
2016-17	----	18.36	297.79	281.85	374.72	254.95	---	11.51
2017-18	----	11.51	275.69	259.33	333.60	227.99	---	5.04

नोटः- वर्ष 2015-16 मे रु 573.12 लाख, 2016-17 मे रु 142.56 लाख, 2017-18 मे रु 128.43 लाख का समर्पण किया गया ।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्राप्त (₹ लाख)	व्यय अधिक्य(+) (₹ लाख)	बचत(-) ` (₹ लाख)
2015-16	प्रोग्राम निधि	922.44	371.47	551.97
	प्रशासन (केंद्र)	13.47	13.46	0.01

2016-17	प्रोग्राम निधि	256.90	140.98	115.92
	प्रशासन (केंद्र)	13.40	13.40	----
2017-18	प्रोग्राम निधि	261.32	152.64	108.68
	प्रशासन (केंद्र)	13.00	12.99	0.01

(iii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई इकाई को केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं कोषागार मद से धनराशि प्राप्त होती है।श्रेणी इकाई श्रेणी “अ” के अंतर्गत आती है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में देहरादून के अंतर्गत विकासनगर, सहसपुर, रायपुर, डोईवाला एवं हरिद्वार के अंतर्गत रुड़की, नारसन, भगवानपुर, वहादराबाद, लक्सर एवं खानपुर का कार्य क्षेत्र आता है। लेनदेन की लेखापरीक्षा संपादित को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई (सिंचाई खण्ड) देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। **अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई (सिंचाई खण्ड) देहरादून** का विस्तृत विश्लेषण किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा18 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- सड़क निर्माण मे रु 30.40 लाख कि अवरूद्ध राशि तथा रु 3.53 लाख का निरर्थक व्यय

प्रधानमंत्री सड़क योजना के फेस-12 के अंतर्गत हल्लूमाजरा से क्षांगामाजरी दरियापुर मोटर मार्ग लंबाई 1.55 किमी0 के अपग्रेडेशन हेतु रु 27.93 लाख एवं अनुरक्षण हेतु रु 2.47 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तथा उक्त मोटर मार्ग के डीपीआर बनाने हेतु रु 1.36 लाख का भुगतान किया गया था। तथा कार्य को सम्पन्न करने हेतु अनुबंध भी मई 2014 मे गठित किया गया था। इसी प्रकार गोरदनपुर से मथाना मोटर मार्ग हेतु भी इकाई द्वारा डीपीआर बनाने मे रु 2.17 लाख का व्यय किया गया था।

लेखा परीक्षा कि जांच मे पाया गया कि उपरोक्त दोनों कार्य पीडबल्यूडी द्वारा वर्ष 2016 मे सम्पन्न कर दिया गया था। अर्थात इकाई को इस मोटर मार्ग पर कोई कार्य सम्पन्न नहीं किया जाना था। जिस कारण इन कार्यो पर निर्गत राशि जहां एक ओर अवरूद्ध पड़ी हुई थी, वही डीपीआर बनाने मे हुआ व्यय भी निरर्थक हुआ।

इकाई से इस संबंध मे पूछे जाने पर बताया गया कि निविदा/अनुबंध करने के पश्चात यह इकाई के संज्ञान मे आया कि उक्त कार्य पीडबल्यूडी द्वारा सम्पन्न कर दिया गया गया है। तथा इसकी कोई सूचना इस इकाई को पीडबल्यूडी द्वारा प्रेषित नहीं की गयी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था, नियमानुसार इकाई को अनुबंध से पूर्व सड़क की वास्तविक स्थिति से स्वयं भी अवगत होना चाहिये था, और ठेकेदार को भी अवगत कराना चाहिये था।

अतः जहां एक ओर सड़क निर्माण मे रु 30.40 लाख अवरूद्ध पड़े रहे वही दूसरी ओर रु (1.36+2.17)= रु 3.53 लाख निरर्थक साबित हुआ।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- नियमित प्रकृति के रु 16.33 लाख के कार्य कार्यादेश के माध्यम से कराया जाना।

पीडबल्यूडी मैनुअल के प्रस्तर 14.4.4 के अंतर्गत यह स्पष्ट है कि केवल आकस्मिक प्रकृति के कार्य ही कार्यादेश के माध्यम से कराये जा सकते है।

इकाई के अभिलेखो कि जांच मे पाया गया कि सहायक अभियंता द्वारा डीपीआर के बनाने मे, वार्षिक मरम्मत, और विस्तृत सर्वे मे रु 16.33 लाख का व्यय किया गया जो नियमित प्रकृति के व्यय थे। जिनका विवरण निमन्वत था:-

Sl. No.	**Name of work**	**No. Of Work**	**Amount**
1	Preparation of DPR	15	890833/-
2	Annual Repair construction of R/wall	06	732495/-
3	Detailed survey	01	9950/-
		Total Rs.	163328/-

इकाई से इस संबंध मे पूछे जाने पर बताया गया कि कार्य छोटे छोटे टुकड़ो मे कराया जाना था जिस कारण कार्यदेश के माध्यम से कार्य कराया गया। भविष्य मे ध्यान रखा जायेगा।

इकाई के उत्तर से स्वतः इस तथ्य कि पुष्टि होती है कि विभाग द्वारा वितीय नियमो का पालन नहीं किया गया।

अतः नियमित प्रकृति के रु 16.33 लाख के कार्य कार्यादेश के माध्यम से कराये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
	प्रथम लेखापरीक्षा	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
		प्रथम लेखापरीक्षा		

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-----------शून्य------------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई (सिंचाई खण्ड) देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) अधिष्ठान मद के कुछ बाउचर जिनका उल्लेख नमूना जांच मे विस्तृत रूप से किया गया है।

2. **सतत् अनियमितताएः**

शून्य”

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**	**अवधि**
1.	श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव	12.09.2012 से 15.10.2014
2.	श्री संजय सिंह	15.10.2014 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई (सिंचाई खण्ड) देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.